



University of Allahabad

Faculty of Law

Please www.aupravesh2020.com OR Admission-2020 link www.allduniv.ac.in for more details.

LL. M. Admission Test -2020

Session: 2020-21

1. The applicant must take due care while filling up the form (online). The information provided by the applicant in his/her form shall not be changed or altered in any case and the University will not entertain such requests under any circumstance. The University shall not be liable for any mistake made by the applicant.
2. In case if the number of registered candidates at any of the examination centres is less than 100 (One Hundred), then in such case the registered candidates will be allotted the nearest centre.
3. There is no provision of revaluation/scrutiny.
4. In case of any discrepancy in the Hindi version, the English version of the brochure will be treated as correct version.
5. Only such RTI applications shall be entertained which are received within 60 days from the declaration of final result.
6. Each candidate will also have to mention his / her Sub-Category along with his / her overall category i.e. UR, SC, ST, OBC and EWS.
7. To give the benefit to students who have passed the eligibility examination in the current year 2019-20 a deduction of 5% marks would be made for every gap year from the obtained marks. The maximum deduction would be 15%.
8. Every candidate will have to declare any disciplinary action/police action against him.
9. Every candidate can view his/her Answer Sheet within one month of declaration of Results by paying a token amount Rs. 100/- at Pravesh Bhawan.

IMPORTANT EVENT	DATES / TIME
Online Registration and Submission process begins	10.05.2020
Last Date of Submission of Online Registration	IT WILL BE ANNOUNCED LATER BASED ON ADVISORY OF GOVERNMENT OF INDIA REGARDING COVID-19
Last date to deposit fees and submission of form ONLINE	IT WILL BE ANNOUNCED LATER BASED ON ADVISORY OF GOVERNMENT OF INDIA REGARDING COVID-19
Date of Downloading Admit Cards Online only	One Week before the Admission Test
DATE OF ENTRANCE TEST	TO BE ANNOUNCED LATER



The applicant must take due care while filling up the Online Application Form. The information provided by the applicant in his/her Online Application Form shall not be changed or altered in any case and the University will not entertain such request under any circumstance. The University shall not be liable for any mistake made by the applicant.

There is no provision of revaluation/scrutiny.

The information provided and the data supplied by the applicant through Online Registration Application Form shall be preserved in the University for a period of only 90 days from the date of the declaration of the result of Entrance/Admission Test. The records will be disposed off after the said period and no enquiry shall be entertained in this regard by the University after the expiry of the said period. The University shall use this data for various purposes; hence, in no case shall any change be allowed at a later stage. Therefore, all the information must be furnished correctly, completely and clearly by the applicant himself/herself as per the instructions given in the brochure/website OR Admission - 2020 Link www.allduniv.ac.in

Note – The Fee for online Application is Rs. 800 (Eight Hundred Rupees only) but in case of SC/ST/Differently Abled Candidates the fee is Rs. 400 (Four Hundred Rupees only)

Eligibility Information:

1. The candidate must have obtained Law Graduate Degree from any University recognized by U.G.C. and the candidate should have obtained at least 45% marks in the aggregate in the said class candidates who have appeared in Law Graduate (Final Year) are also eligible to apply and appear in the LL.M. Admission Test-2020. However such a candidate will have to produce his or her final year mark sheet as a proof of passing LL.B. (Final Year)/B.A. LL.B. five year examination on or before the date of admission, failing which their claim to admission shall stand forfeited.
2. For admission to LL.M. preference shall be given to fresh Law graduates (i.e. candidates who have passed the qualifying law graduate examination for the immediately preceding academic year) over law graduates of earlier years. Accumulative deduction at the rate of 5% of the marks obtained in the Entrance Test shall be made for every gap year in case of earlier Law graduates, subject to maximum deduction of 15%.
3. Prospectus/Forms are available Online only on the website www.aupravesh2020.com OR Admission-2020 link of www.allduniv.ac.in for downloading and submission of form.
4. The Admission Test shall be conducted **Online as well as Offline mode** and shall have objective type/multiple choice questions only.
5. The Admission Test shall have **150 objective type/ multiple choice questions** and shall be of two hours duration. **The paper will be divided into two parts, Part-A contains 50 Questions related to General Legal Awareness and Legal Aptitude & Part-B contains 100 questions related to the following subjects.**
(i) Constitutional Law of India, (ii) Jurisprudence, (iii) Law of Contract/Mercantile Law, (iv) Criminal Law, (v) Law of Torts. (vi) Hindu Law, (vii) Muslim Law, (viii) Public International Law and Human Rights, (ix) Labour Law, (x) Property Law.
6. Each objective type/ multiple choice question shall carry **Two Marks (2.0)** only.



7. The Admission shall be done in accordance with the uniform policy for P.G. Admissions-2020 prevailing at the time of the admission.
8. The amount paid by the candidate to the University as the Registration/Test-fee will not be refunded or carried over under any circumstance.
9. The candidate shall fill all the required entries (including his signature) on the form otherwise the form shall be considered as incomplete and be liable to the rejected even after being received and processed by the University of Allahabad.
10. The Candidate must also mention his sub category in all cases i.e. for UR, EWS, OBC, SC and ST.
11. The candidate shall be responsible for the veracity of all the entries in the Registration Form.
12. Once a Form has duly been submitted to the University, the candidate shall not be entitled or permitted to make any addition, deletion or alteration in respect of any entry therein and the Form shall not be permitted to be transferred / used for any course other than LL.M.
13. Carrying any other material, except Admit-card and black/blue ballpoint pen, in the Examination hall shall be treated as unfair means.
14. As per the Admission committee resolution dated 25/02/2020 which is duly approved by the academic council by resolution no. 18/39 dated 27.02.2020, The EWS shall be implemented across the board with 25% enhancement in seats over and above the sanctioned strength for each course of study from academic session 2020-21. Therefore, the number of seats in the Course is 78 for Faculty of Law, University of Allahabad, 75 Seats for CMP Degree College and 38 seats for Allahabad Degree College respectively.

RESERVATION AND SPECIAL CONSIDERATION / QUOTA:

- A.** In accordance with provision of Section 9 of the University of Allahabad Act, 2005 (Act No. 26 of 2005) seats shall be reserved for Scheduled Caste (SC), Scheduled Tribe (ST) and Other Backward Classes (OBC) category candidates in all subjects / course for which the Admission Test has been held, as given here under:
- (i) 15% of the total seats in each subject / course shall be reserved for candidates belonging to Scheduled Caste (SC) category;
 - (ii) 7.5% of the total seats in each subject / course shall be reserved for candidates belonging to Scheduled Tribe (ST) category; and
 - (iii) 27% of the total seats in each subject / course shall be reserved for candidates belonging to Other Backward Caste (OBC) category.
 - (iv) In case the seats reserved for Scheduled Tribe (ST) category candidates remain vacant on account of non-availability of candidates the same shall be filled by the candidates of Scheduled Caste (SC) candidates.
 - (v) 25% seats shall be increased for admission under Economically Weaker Section (EWS) quota. 10% of the total seats shall be reserved for candidate belonging to EWS category. Reservation to EWS candidates shall be given by the University as per Govt. of India guidelines, the regulation/norms issued by the UGC and subject to any decision of the Hon'ble Supreme Court of India or Hon'ble Hihg Court of Allahabad, if any.

Note: These rules are indicative and UGC Regulation on Reservation as on the date of declaration



of Results shall be followed.

B. Kashmiri Migrants:

Weightage as per Government of India guidelines shall be given to Kashmiri Migrants. In order to avail this weightage, the candidates shall have to present a certificate to this effect from an officer of the Ministry of Human Resource Development not below the rank of Joint Secretary or equivalent.

C. NCC Weightage:

A weightage of 5% shall be added to the score obtained by the candidate holding NCC 'C' certificate in the Admission Test / Entrance Test.

D. Foreign Nationals/NRI:

Foreign Nationals shall be required to apply through International Students Advisor in accordance with the procedure laid down by the University of Allahabad. The candidate in this case shall not be required to appear in the Admission Test / Entrance Test, but shall be considered for admission on the recommendation of a committee constituted for the purpose, which shall examine the academic credentials and certificates of the candidate before making any recommendation.

E. Sports Quota:

Under Sports-Quota, at the graduate level only those candidates can be considered for admission who are eligible to participate in Inter-University Tournaments as per Association of Indian Universities (AIU), New Delhi rules and have participated at State and National Championships organized under School Games Federation of India and Junior Level (under 19 years of age) District, Region, State and National Championships organized by various District/State Associations and Federations. The candidates will be selected in order of merit subject to availability of seats.

- (i) The Advisory Committee, Sports Board, University of Allahabad reserves the right to conduct the field trials and verification of documents of any candidate to determine genuineness of the documents.
- (ii) The candidate shall be required to produce all the original game / sports certificate in support of his her claim at the time of admission / interview. The University reserves the right to verify the documents (games / sports certificates etc.) and if found fake, suitable action shall be taken against the candidate.
- (iii) 2% of the total seats in each subject/ course shall be allotted under Sports Quota.
- (iv) Admission under separate quota will strictly be on the basis of merit list provided by the advisory committee, Sports Board.

F. Person with Disability (Divyang):

- (i) As per section 32(1) of the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016, all Government institutions of higher education and other higher education institutions receiving aid from the Government shall reserve not less than **five(05) per cent** seats for person with benchmark disabilities. Therefore 5% of total seats for this course will be available for person with disability who can pursue this course without any difficulty.
- (ii) A candidate who has a certified disability of not less than 40 % in any limb or in orthopaedic structure which, in the opinion of the Medical Board (constituted by the University of Allahabad), amounts to an overall physical handicap of not more than 70% or is a certified Visually impaired or a Hearing impaired, may be admitted to the concerned course / subject,



irrespective of his position in the order of merit of the total aggregate score, on the recommendation of the Medical Board.

- (iii) Seats under this quota shall be filled in order of preference given below. One percent each shall be reserved for person with benchmark disability under clause (a), (b) and (c), and one percent with benchmark disability under clauses (d) and (e) namely.
- Blindness and low vision.
 - Deaf and hard of hearing.
 - Locomotor disability including cerebral palsy, leprosy cured, dwarfism, acid attack victims and muscular dystrophy.
 - Autism, intellectual disability, specific learning disability and mental illness.
 - Multiple disabilities from amongst person from clauses (a) to (d).
- (iv) The privilege shall not be given except claimed by the candidate at the time of application. At the time of admission the candidate shall be required to produce a certificate issued by the Chief Medical Officer of the appropriate District or by the Viklang Kendra, Allahabad, which testifies to his disability and bears an attested photograph indicating his / her disability clearly.
- (v) All candidates entitled to be admitted under the above quota to a course shall be adjusted against their respective social category.

G. Teacher/Employee Ward Quota:

After the completion of admission on the sanctioned seats in each course of study, the wife, sons and daughters of regularly appointed serving and retired teachers / employee of the University, the University Institutes, the constituents Colleges and constituents Institutes, who produce relevant certificate duly signed by the Registrar in case of University, the Director in case of University Institutes, the Principal in the case of constituent Colleges and the Director in case of constituent Institutes shall be admitted, on the basis of their relative scores against 5% supernumerary seats (with a minimum of one seat) in each course of study, only in the unit/sub-unit in which such Teachers/Employees are serving or where from they have superannuated.

Provided that if in case seats remain vacant in a course in the unit/subunit, these will be filled by the wards of the employees of other units/subunits and words of contractual and daily wage employees of the University, University Institutes, the Centers thereof and the independent Centers.

Note-Teacher/Employee Ward benefit will be granted only when the candidate has made such a claim in the Application Form and presents the required documents and certificates at the time of admission. The order of merit for admission shall be determined on the basis of computed marks of the candidate.

IMPORTANT INSTRUCTIONS

- The LLM Course shall be of two years duration which shall be divided into Four Semesters. It shall be based on CBC System prevalent in the University.
- At the time of the admission the candidates must possess a pass degree of the undergraduate law course.
- At the time of admission the candidate must deposit his Migration Certificate / Transfer Certificate at the counter after filling up the prescribed form.



4. A candidate must get himself enrolled in the university and department after admission to course so that his name may be mentioned in the class register.
5. After admission the candidates must get an I-card prepared immediately.
6. After passing the IInd Semester and/ or IVth Semester the student shall deposit the requisite fee within 15 days of the declaration of result in the University. After deposition the fee he must get his I-card prepared for the next session in Proctor Office.
7. He shall also be required to report in the Department and get his name registered in the class register along with a copy of fee receipt and mark sheet; otherwise his name shall not be forwarded to Controller of Examinations.
8. Student shall be required to attend the classes regularly as per the classes allotted to them in the time table.
9. No student shall be allowed to appear in the exam if they fail to attend 75% of the classes as per Bar Council and UGC Rules.

—————

For the convenience of the online application

Help Desk has been setup

Helpdesk No.: +91-9453819385; 9455874516

Helpdesk email ID: helpdesk.aupravesh2020@gmail.com

Note: Call centre timing – 10:00 AM to 07:00 PM (All Days)



इलाहाबाद विश्वविद्यालय
विधि संकाय
एलएल0एम0 प्रवेश परीक्षा – 2020
प्रवेश सत्र 2020 - 21

विस्तृत जानकारी के लिए वेबसाइट www.aupravesh2020.com या विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.allduniv.ac.in देखें।

महत्त्वपूर्ण निर्देश

1. अभ्यर्थी प्रवेश फार्म भरते (ऑन लाइन) समय यह अवश्य सुनिश्चित कर लें कि उनके द्वारा उपलब्ध करायी गई समस्त सूचनायें सही हैं और उनकी प्रविष्टियाँ फार्म में सही हैं। सूच्य हो कि अभ्यर्थी द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचनायें एवं भरी गई प्रविष्टियों को किसी भी दशा में परिवर्तित नहीं किया जायेगा और विश्वविद्यालय न तो इस सन्दर्भ में उत्तरदायी होगा और न ही इस सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का आवेदन/निवेदन स्वीकार करेगा।
2. यदि किसी (केन्द्र/सेन्टर) पर परीक्षार्थियों की संख्या 100 से कम है तो इस दशा में परीक्षार्थी का दूसरा निकटतम केन्द्र/सेन्टर आवंटित कर दिया जायेगा।
3. उत्तर पत्रकों/पुस्तिकाओं के पुनरीक्षण की कोई व्यवस्था नहीं है।
4. विवरणिका के हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण में दिये गये नियमों में यदि कोई विरोधाभास होगा तो अंग्रेजी संस्करण में दिये गये नियम ही मान्य होंगे।
5. केवल उन्हीं RTI याचिकाओं को स्वीकार किया जायेगा जो अन्तिम परिणाम प्रकाशित होने के 60 दिन के अन्दर प्राप्त होंगी।
6. प्रत्येक अभ्यर्थी को अपनी श्रेणी, अनारक्षित, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक पिछड़ा वर्ग के साथ अपनी उप-श्रेणी (Sub-category) भी लिखना है।
7. वर्तमान सत्र 2019-20 में अर्ह परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों को लाभ पहुँचाने हेतु प्रत्येक वर्ष के गैप पर परीक्षा में प्राप्त अंकों से 5% कटौती की जायेगी। अधिकतम कटौती 15% होगी।
8. प्रत्येक अभ्यर्थी को अपने खिलाफ हुये सभी अनुशासन सम्बन्धी कार्यवाही तथा पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही को स्पष्ट करना होगा।
9. प्रत्येक अभ्यर्थी प्रवेश भवन में परीक्षाफल घोषित होने के एक माह के अन्दर रु. 100/- के टोकन शुल्क देकर अपनी उत्तर-पुस्तिका का निरीक्षण कर सकता है।



महत्त्वपूर्ण तिथियाँ

ऑनलाइन पंजीकरण एवं प्रवेश आवेदन पत्र का प्रारम्भ	10.05.2020
ऑनलाइन पंजीकरण की अन्तिम तिथि	IT WILL BE ANNOUNCED LATER BASED ON ADVISORY OF GOVERNMENT OF INDIA REGARDING COVID-19
ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि	IT WILL BE ANNOUNCED LATER BASED ON ADVISORY OF GOVERNMENT OF INDIA REGARDING COVID-19
ऑनलाइन प्रवेश पत्र प्राप्त करने की तिथि	ONE WEEK BEFORE ADMISSION TEST
प्रवेश परीक्षा की तिथि	WILL BE ANNOUNCED LATER

आवेदन करने से पूर्व प्रवेशार्थी को विवरणिका को ध्यानपूर्वक अध्ययन करने की हेतु वेबसाइट www.aupravesh2020.com या विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.allduniv.ac.in के निरीक्षण की सलाह दी जाती है। जिसमें इस संबंधन में सभी पर्व अपेक्षाएं और मागदर्शन समाहित हैं।

प्रवेशार्थी को प्रवेश पत्रक आनलाइन सावधानी से भरना है। आनलाइन पत्रक जमा करने के पश्चात् उसमें किसी भी प्रकार के परिवर्तन करना संभव नहीं होगा। विश्वविद्यालय इसके लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

प्रवेश परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की समीक्षा (स्क्रूटनी) या पुनर्मूल्यांकन (रीवैल्यूएशन) की अनुमति नहीं दी जायेगी।

प्रवेशार्थी आनलाइन पंजीकरण पत्र में प्रविष्टि जानकारी प्रवेश परीक्षाफल के घोषणा करने के 90 दिवस तक की सुरक्षित रखा जाएगा। उसके उपरान्त उसे विनियमित कर दिया जाएगा उससे संबन्धित किसी भी जानकारी नहीं दी जा सकेगी। विश्वविद्यालय इस जानकारी का उपयोग कई उद्देश्यों हेतु करेगा। इसमें परिवर्तन संभव नहीं होगा। अतः सम्पूर्ण प्रविष्टियों को सही एवं पूर्णतः सावधानी से वेबसाइट www.aupravesh2020.com या विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.allduniv.ac.in पर दिये गये निर्देश के अनुसार प्रविष्टि करें।

नोट :- आनलाइन आवेदन शुल्क रु. 800/-(रुपये आठ सौ मात्र) किन्तु अनु.जाति/अनुसूचित जनजाति/दिव्यांग अभ्यर्थियों हेतु रु. 400/-(रुपये चार सौ मात्र) है।

अर्हता

1. एल.एल.एम. में प्रवेश परीक्षा 2020 हेतु यू.जी.सी. द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से निधि में स्नातक अभ्यर्थी जिसने न्यूनतम अंक 45 प्रतिशत प्राप्त किया है, अर्ह होंगे। अर्हकारी परीक्षा (विधि त्रिवर्षीय वर्ष या पंचवर्षीय) के अन्तिम वर्ष के छात्र जिनका परीक्षा का परीक्षाफल प्रतीक्षित है, वे भी प्रवेश हेतु आवेदन कर सकते हैं तथा प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। किन्तु अभ्यर्थी को उक्त अर्हकारी परीक्षा को प्रवेश



तिथि तक या उसके पूर्व 45 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण करना होगा। अनुत्तीर्ण होने पर उनका अभ्यर्थन निरस्त माना जाएगा तथा वे प्रवेश हेतु अनर्ह माने जायेंगे।

2. एल.एल.एम. में प्रवेश हेतु विधि में नवस्नातक (अर्थात् जिन्होंने प्रवेश सत्र से तत्काल पूर्ववर्ती वर्ष की अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण की है) को उससे पूर्व वर्षों के विधि स्नातक के प्रवेश परीक्षा प्राप्तांक से अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण करने के वर्ष से व्यतीत प्रति सत्र हेतु प्राप्तांक से 5 प्रतिशत की दर से अपक्षय द्वारा 15 प्रतिशत की अधिकतम सीमा तक कटौती की जाएगी।
3. आनलाइन प्रवेश परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र वेबसाइट www.aupravesh2020.com या विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.allduniv.ac.in पर उपलब्ध होंगे।
4. प्रवेश परीक्षा बहुविकल्पीय प्रकार के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की दिनांक ... मई 2020 को आनलाइन एवं आफलाइन करायी जाएगी। अभ्यर्थी किसी एक माध्यम का चुनाव कर सकता है।
5. प्रवेश परीक्षा कुल 150 बहुविकल्पीय प्रकार के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर आधारित होगी।
प्रश्न-पत्र दो भागों में विभाजित होगा। भाग 'अ' में सामान्य विधिक अभिज्ञान एवं विधिक अधिष्मता से संबंधित 50 प्रश्न होंगे एवं भाग 'ब' में निम्नलिखित विषयों से संबंधित 100 प्रश्न होंगे –
 - भारतीय सांविधानिक विधि
 - विधि शास्त्र
 - संविदा विधि/वाणिज्यिक विधि
 - आपराधिक विधि
 - अपकृत्य विधि
 - हिन्दु विधि
 - मुस्लिम विधि
 - अन्तर्राष्ट्रीय विधि एवं मानवाधिकार
 - श्रम विधि
 - सम्पत्ति विधि
6. प्रत्येक बहुविकल्पीय प्रकार के वस्तुनिष्ठ प्रश्न 2 अंकों के होंगे।
7. विश्वविद्यालय के समस्त स्नातकोत्तर प्रवेशार्थियों/अभ्यर्थियों पर प्रभावी प्रवेश परीक्षा 2020 के प्रावधानों के अनुसार ही प्रवेश दिया जायेगा।
8. प्रवेशार्थी द्वारा अदा की गयी प्रवेश परीक्षा/पंजीकरण शुल्क की राशि को किसी भी परिस्थिति में प्रत्यावर्तित (रिफ़न्ड) या अग्रगमन (कैरी फ़ॉवर्ड) नहीं किया जाएगा।
9. प्रवेशार्थी आनलाइन प्रवेश आवेदन-पत्र सावधानीपूर्वक करें अन्यथा आवेदन पत्र अपूर्ण माने जायेंगे तथा विश्वविद्यालय द्वारा उसे निरस्त किया जाएगा। प्रवेशार्थी को अपने हस्ताक्षर एवं फोटोग्राफ की स्कैन कापी अपलोड करना होगा।
10. सभी श्रेणी अर्थात् अनारक्षित, आर्थिक कमजोर वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी को उपश्रेणी इंगित करना अनिवार्य होगा।
11. पंजीकरण पत्र/आनलाइन प्रवेश आवेदनक पत्रक से भरी गयी सभी प्रविष्टियों के लिए आवेदनक स्वयं उत्तरदायी होगा।



12. आनलाइन पत्रक जमा करने के पश्चात् उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन करना सम्भव नहीं होगा। प्रवेशार्थी को यह अधिकारी या अनुमति नहीं होगी कि वह उसमें या उसके किसी भाग में नवीन, अतिरिक्त प्रविष्टि/पत्रजात का समावेश करे या किसी विद्यमान प्रविष्टि पत्रजात का निरसन/परिवर्तन करे तथा प्रपत्र को किसी एलएल.एम. से भिन्न पाठ्यक्रम हेतु प्रयुक्त/स्थानान्तरित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
13. परीक्षा में प्रवेश परीक्षा पत्रक एवं काली/नीली कलम के अतिरिक्त अन्य कोई वस्तु ले जाना अनुचित साधन माना जायेगा।
14. प्रवेश समिति तथा विद्वत परिषद के निर्णय के अनुपालन में एलएल.एम. में 25% सीटों की वृद्धि के तदुपरांत इस अकादमिक सत्र 2020-21 हेतु प्रवेश परीक्षा विधि संकाय, इ.वि.वि. में 78 सीटों, सी.एम.पी. एवं इलाहाबाद डिग्री कालेज की क्रमशः 75 एवं 38 सीटों के लिए कराई जायेगी।

आरक्षण तथा विशेष सुविधा/कोटा :

(अ) कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षण

इलाहाबाद विश्वविद्यालय अधिनियम, 2005(2005 का अधिनियम 26) के परिनियम के खण्ड 9 के अन्तर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए सभी विषयों/पाठ्यक्रमों जिसके लिए प्रवेश आयोजित है, निम्न अनुपात में आरक्षण प्रदान किया जायेगा।

- (i) प्रत्येक विषय/पाठ्यक्रम के कुल सीटों/स्थानों का 15 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित।
- (ii) प्रत्येक विषय/पाठ्यक्रम के कुल सीटों/स्थानों का 7.5 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जनजाति वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित।
- (iii) प्रत्येक विषय/पाठ्यक्रम के कुल सीटों/स्थानों का 27 प्रतिशत स्थान अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित।
- (iv) यदि अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित स्थान उस वर्ग के अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता के कारण रिक्त रहते हैं तो रिक्तियों को अनुसूचित जाति वर्ग के अभ्यर्थियों द्वारा भरा जायेगा।
- (v) कुल सीटों का 10 प्रतिशत आर्थिक कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित होगा। आर्थिक कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को आरक्षण प्रदान करने हेतु 25 प्रतिशत सीटों की वृद्धि की जाएगी।

विशेष— आरक्षण सम्बन्धी नियमों में भारत सरकार मानव संसाधन मन्त्रालय द्वारा किये गये सभी परिवर्तन बाध्यकारी होंगे।

(ब) विस्थापित कश्मीरी :

विस्थापित कश्मीरियों को तत्सम्बन्धी प्रमाण-पत्र (जो कि मानव संसाधन मन्त्रालय के सक्षम अधिकारी जो कि संयुक्त सचिव स्तर अथवा समकक्ष से निचले स्तर का न हो के द्वारा प्रदत्त) के आधार पर भारत सरकार के निर्देशों/प्रावधानों के तहत अधिभार/अधिलाभ प्रदान किया जायेगा।

(स) एन0सी0सी0 अधिभार/अधिलाभ :

ऐसे अभ्यर्थी जो राष्ट्रीय कैडेट कोर (एन.सी.सी.) 'सी' के प्रमाण पत्र धारक हैं को उनके प्राप्त अंकों में 5% अधिलाभ जोड़ दिया जायेगा।

(द) विदेशी नागरिक/अनिवासी भारतीय :



उन विदेशी नागरिकों के लिए जिन्होंने अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण करके अन्तर्राष्ट्रीय छात्र सलाहकार के माध्यम से आवेदन किया है, उनको प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होना अनिवार्य नहीं है। उन्हें इलाहाबाद विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त विदेशी परामर्शदात्री समिति की संस्तुति पर प्रवेश दिया जा सकता है। समिति संस्तुति के पूर्व अभ्यर्थी के शैक्षिक स्तर पर तथा उनकी प्रमाणिकता का अध्ययन करेगी।

(य) खेलकूद कोटा :

इस कोटे के अन्तर्गत स्नातक स्तर पर केवल उन्हीं अभ्यर्थियों के आवेदन पर विचार किया जायेगा, जो कि अन्तर विश्वविद्यालय टूर्नामेंट में भारतीय विश्वविद्यालय संघ (ए0आई0यू0) नयी दिल्ली के नियमों के अनुसार भाग लेने के अर्ह है तथा जूनियर स्तर (कक्षा 10 तथा 12) पर 'स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इण्डिया' तथा जूनियर स्तर (19 वर्ष आयु से निम्न) जिला, क्षेत्र, प्रदेश तथा राष्ट्रीय चैम्पियनशिप जो कि मान्यता प्राप्त विभिन्न जिला/प्रदेशीय एसोशियेशन और फेडरेशन के द्वारा आयोजित की गयी हो, मे अपने विद्यालय का प्रतिनिधित्व किया हो।

अभ्यर्थियों का चयन सीट/स्थान की उपलब्धता तथा विषय में प्राप्त मेरिट के आधार पर किया जायेगा।

- (i) सलाहकार समिति, स्पोर्ट्स बोर्ड तथा इलाहाबाद विश्वविद्यालय को 'फील्ड ट्रायल' का आयोजन करने तथा अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अर्हकारी प्रमाण-पत्रों/दस्तावेजों आदि का परीक्षण करने/सत्यता जाँचने आदि का सर्वाधिकार सुरक्षित है।
- (ii) अभ्यर्थियों को प्रवेश/इण्टरव्यू/काउंसलिंग के समय खेलकूद से सम्बन्धित अपने समस्त मूल प्रमाण-पत्रों व अभिलेखों को अवश्य प्रस्तुत करना होगा। विश्वविद्यालय का यह सर्वाधिकार सुरक्षित है कि वह समस्त अभिलेखों/प्रमाण-पत्रों की सत्यता परखे तथा यदि यह गलत अथवा असत्य पाया जाता है तो अभ्यर्थी के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
- (iii) प्रत्येक विषय/पाठ्यक्रम में कुल स्थानों का 2 प्रतिशत स्थान खेलकूद कोटे के अन्तर्गत आवन्तित है।
- (iv) खेलकूद कोटा में प्रवेश स्पोर्ट्स बोर्ड की सलाहकार समिति द्वारा दी गई वरीयता सूची के आधार पर ही होगा।

(र) दिव्यांग कोटा: पाठ्यक्रम के स्वीकृति स्थानों के 5% की अधिकृत सीमा तक प्रवेशार्थी।

- (i) दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2018 की धारा 32 (1) के अनुसार, उच्च शिक्षा की सभी सरकारी संस्थाएं और सरकार से सहायता प्राप्त कर रही अन्य शिक्षा संस्थाएं संदर्भित दिव्यांगजनों के लिए 5% स्थानों को आरक्षित रखेंगी। इसलिए, पाठ्यक्रम के कुल स्वीकृत सीटों की 5% सीटें दिव्यांगजनों हेतु उपलब्ध होंगी।
- (ii) वे अभ्यर्थी जिनके किसी अंग या अस्थि रचना में न्यूनतम 40% विकलांगता है, विश्वविद्यालय द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड मतानुसार अधिकतम 70% की समग्र शारीरिक अक्षमता है या जो प्रमाणित नेत्रहीन हैं अथवा जो सुनने में असमर्थ हैं, मेडिकल बोर्ड की संस्तुति के आधार पर उनका सम्बन्धित पाठ्यक्रम/विषय में प्रवेश हो सकता है।
- (iii) खण्ड (क), (ख) एवं (ग) के संदर्भित दिव्यांगजनों हेतु एक प्रतिशत सीटें प्रत्येक हेतु आरक्षित होंगी तथा खण्ड (घ) एवं (ङ) के संदर्भित दिव्यांगजनों के लिए एक प्रतिशत सीटें प्रत्येक हेतु आरक्षित होंगी।
 - (क) अंध और निम्न दृष्टि
 - (ख) बधिर और श्रवणशक्ति में ह्रास
 - (ग) चलन दिव्यांगता जिसके अन्तर्गत प्रमस्तिष्क घात, रोगमुक्त कुष्ठ, बौनापन, तेजाब आक्रमण के पीड़ित और पेशीय दुष्पोषण भी है।



(घ) स्वपरायणता, बौद्धिक दिव्यांगता, विशिष्ट अधिगम और मानसिक रुग्णता।

(ङ) प्रत्येक दिव्यांगता के लिए पहचान किए गए पदों के खण्ड (क) एवं खण्ड (घ) के अधीन व्यक्तियों में से बहु दिव्यांगता।

(iv) यह विशेष सुविधा तभी अनुमन्य होगी जबकि अभ्यर्थी ने प्रवेश आवेदन प्रपत्र में इसका दावा किया है तथा उसने उपर्युक्त के मुख्य राजकीय चिकित्सा अधिकारी या विकलांगता प्रमाण-पत्र (जिसमें विकलांगता को स्पष्ट दर्शाता हुआ उसका फोटो भी है) प्रवेश के समय प्रस्तुत किया है।

(v) विशेष सुविधाओं के अधीन प्रविष्ट प्रवेशार्थियों को उनके सामाजिक कोटि के अनुसार आरक्षित स्थानों पर समायोजित किया जाएगा।

(vi) (क), (ख), (ग), (घ) एवं (ङ) में वर्णित सीटों पर प्रवेश, उनकी सम्बन्धित अपंगता के प्रतिशत के अनुसार किया जाएगा।

(ल) शिक्षक/कर्मचारी पाल्य कोटा :

कर्मचारी/अध्यापक पाल्य कोटा— विश्वविद्यालय के नियमित एवं सेवा निवृत्त अध्यापकों एवं कर्मचारियों के पत्नी, बेटा या बेटी के लिए विश्वविद्यालय के नियमों के अन्तर्गत कुल सीटों की पाँच प्रतिशत अतिरिक्त सीटें आरक्षित होंगी। उसी ईकाई/उपईकाई में कार्यरत अध्यापकों कर्मचारियों को वरीयता प्रदान की जाएगी। बशर्ते यदि सीटें रिक्त रह जाएगी तो उसे अन्य कोई/उपईकाई के कर्मचारियों/अध्यापकों के पाल्यो तथा संविदा एवं दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी के पाल्यों द्वारा भरी जाएगी।

नोट:— कर्मचारी/अध्यापक पाल्य कोटा का लाभ तभी अनुमन्य होगा यदि अभ्यर्थी ने इस कोटे का दावा विहित आवेदन पत्र में किया हो तथा प्रवेश के समय आवश्यक दस्तावेज एवं प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करता है।

महत्त्वपूर्ण निर्देश

1. एलएल.एम. पाठ्यक्रम दो वर्ष की अवधि का होगा जो चार सेमेस्टर में विभाजित होगा। यह विश्वविद्यालय में प्रभावी सी.बी.सी. पद्धति पर आधारित होगा।
2. प्रवेश के समय प्रवेशार्थियों के पास विधि स्नातक उत्तीर्ण होने की डिग्री होना आवश्यक है।
3. प्रवेश के समय अभ्यर्थी को अपना माइग्रेशन/स्थानान्तरण प्रमाण पत्र जमा करना आवश्यक होगा।
4. प्रवेश के बाद प्रवेशार्थी को विश्वविद्यालय के विधि विभाग में नामांकन कराना आवश्यक है, जिसमें कि उसका नाम कक्षा के रजिस्टर में पंजीकृत किया जा सके।
5. प्रवेश के बाद अभ्यर्थी को अपना परिचय पत्र तत्काल बनवाना होगा।
6. द्वितीय सेमेस्टर के परिणाम के बाद 15 दिनों के अन्दर छात्र को अपनी फीस जमा करनी होगी तथा कुलानुशासक कार्यालय में अपना नया परिचय पत्र बनवाना होगा।
7. छात्र को तृतीय सेमेस्टर में विभाग में नामांकन करना होगा जिसके लिए उसे अपने अंकपत्र की मूल एवं छायाप्रति तथा फीस रसीद भी दिखानी होगी अन्यथा उसका नाम परीक्षा नियन्त्रक के कार्यालय में प्रेषित नहीं किया जायेगा।
8. छात्र से अपेक्षित है कि वह नियमित कक्षाओं में उपस्थिति दर्ज करायेगा और समय सारणी के अनुसार कक्षा में उपस्थित होगा।



9. जिन छात्रों की उपस्थिति 75 प्रतिशत से कम होगी (जो बी.सी.आई. तथा यू.जी.सी. नियमों के अनुसार निर्धारित है) उन्हें परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं होगी।

For the convenience of the online application

Help Desk has been setup

Helpdesk No.: +91-9453819385; 9455874516

Helpdesk email ID : helpdesk.aupravesh2020@gmail.com

Note : Call centre timing – 10:00 AM to 07:00 PM (All Days)